समक्ष *एस. एस. संधावालिया, सी.जे. और एस. एस. दीवान, जे.*

मथाना पूर्व सैनिक सहकारी काश्तकार खेती समिति—प्रार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता*

***सिविल रिट याचिका सं.* 1976 *का* 6485**

24 जुलाई, 1978

*पूर्व पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट (*1949 का XXXVIII) - *धारा 7 के तहत भूमि से पूर्व सैनिकों को बेदखल करने का कलेक्टर का निर्देश - इस आधार पर चुनौती दिए गए आदेश कि भूमि अधिनियम के तहत आवंटित नहीं की गई थी - सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का निर्धारण करने के बाद मामले को तय करने के लिए भेज दिया कि क्या अधिनियम के तहत भूमि आवंटित की गई थी - इस तरह के निर्देश - क्या प्रश्न निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस पर है। कलेक्टर-कलेक्टर - क्या पार्टियों द्वारा सहायता प्राप्त किए बिना स्वयं सबूत एकत्र करने की आवश्यकता है।*

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि कलेक्टर के पास पीड़ित भूतपूर्व सैनिक समितियों को भूमि से बेदखल करने का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जब तक कि उन्होंने जांच के बाद यह नहीं पाया हो कि भूमि को अधिनियम के तहत उन्हें पट्टे पर दिया गया था। ऐसी दिशा में कुछ भी नहीं है जो सामान्य नियम से विचलित हो कि प्रश्न की विषय वस्तु बनाने वाली दलीलों को साबित करने का बोझ उस पक्ष पर होगा जिसके द्वारा इसे उठाया गया था। इसलिए, कलेक्टर के पास समितियों को नोटिस जारी करने का अधिकार था, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में उनके द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता है। इस तरह का नोटिस वास्तव में पार्टियों के हित में होगा और उन्हें अपने दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक सबूत, यदि कोई हो, पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। कलेक्टर को पार्टियों को उनके कब्जे में कोई भी सबूत पेश करने के लिए आमंत्रित करने से नहीं रोका जाता है या आवश्यक रूप से उनके द्वारा सहायता प्राप्त किए बिना अकेले ऐसे सभी सबूतों को पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है।

(पैरा 10 और 12)

माननीय न्यायमूर्ति केएस तिवाना ने 19 जनवरी, 1978 *के अपने आदेश के तहत मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए एक खंडपीठ को भेज दिया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति एसएस दीवान की खंडपीठ ने अंततः 24 जुलाई,* 1978 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका *में* प्रार्थना की गई है कि मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं और *अनुलग्नक पी-1 में आदेशों को रद्द करते हुए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। पी-2। पी-3 और पी-5, दिनांक 10 जून, 1974,* 23 अक्टूबर, *1975,* 12 अगस्त; 1976 *और ओथ।* प्रतिवादियों के लिए क्रमशः सितम्बर, 1976 और उन्हें निर्देश दिया जाए कि वे विचाराधीन भूमि पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप न करें और जब तक वे 11 अप्रैल, 1974 के अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन न करें, तब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न *करें।*

यह भी प्रार्थना की जाती है कि, इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन भूमि से बेदखल करने से रोका जाए।

आनंद स्वरूप, एडवोकेट एम. एल. बंसल, एडवोकेट के साथ *याचिकाकर्ता के लिए।*

प्रतिवादी संख्या 10, 11 और 12 की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त एजी एएस नेहरा, अधिवक्ता एचएन मेहतानी।

निर्णय

एस. एस. दीवान, जे.

(1). लेटर्स पेटेंट अपील 1977 का नंबर 15 *(द प्रेम एक्स-सर्विसमैन किरायेदार फार्मिंग सोसाइटी और अन्य* वी। *हरियाणा राज्य और अन्य)* और 1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 6485, भौतिक तथ्यों की समानता और हमारे निर्धारण के लिए उसमें उठने वाले प्रश्नों को इस निर्णय द्वारा एक साथ निपटाया जा रहा है।

(2). लेटर्स पेटेंट अपील 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 947 में गुरनाम सिंह जे द्वारा दिए गए 20 दिसंबर, 1976 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके द्वारा उन्होंने *अन्य बातों के साथ-साथ* कलेक्टर, कैथल द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए 5 जुलाई, 1974 के नोटिस (अनुबंध पी -2) की वैधता को बरकरार रखा। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि ये नोटिस मैसर्स *प्रेम भूतपूर्व सैनिक सहकारी किरायेदार खेती सोसायटी लि. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निर्देशों के विपरीत नहीं थे। *मोहनपुर भूतपूर्व सैनिक सहकारी पट्टेदार फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[2] के मामले में एम आर शर्मा जे द्वारा 12 मई, 1976 के दो निर्णयों में व्यक्त किए गए नोटिस की वैधता पर विचारों के टकराव को देखते हुए सिविल रिट याचिका को निपटान के लिए हमारे समक्ष रखा गया *है।* जिसके तहत विद्वान न्यायाधीश ने नोटिस को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह उपरोक्त निर्णय में की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का सख्ती से पालन नहीं करता है।

(3). इस स्तर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले के तथ्यों और उसके निर्णय में उसके द्वारा की गई टिप्पणियों और निर्देशों को संक्षेप में बताना सुविधाजनक होगा।

(4). इस धारणा पर कि ईस्ट पंजाबी यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड्स एक्ट, 1949 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधान लागू होते हैं, कलेक्टर कैथल ने पूर्व सैनिक सहकारी किरायेदार खेती समितियों के एक समूह को आदेश जारी किए, जिसमें उन्हें भूमि से बेदखल करने और उनके पट्टे की अवधि समाप्त होने के आधार पर सही मालिकों को वितरण करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान अपीलकर्ताओं और रिट याचिकाकर्ता सहित सोसाइटियों ने अपील और रिट याचिकाओं के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इस आधार पर आदेशों की वैधता को चुनौती दी कि उक्त अधिनियम के तहत उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई थी। कोई पट्टा या पट्टा विलेख नहीं आ रहा था। प्रतिवादियों-राज्य और भूस्वामियों ने तर्क दिया कि यह स्थापित करने के लिए अन्य पर्याप्त दस्तावेजी सबूत थे कि भूमि को अधिनियम के तहत समितियों को पट्टे पर दिया गया था।

[1] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1121

[2] 1976 पी.एल.जे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समितियों को खाली करने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आवश्यक जांच के बाद यह नहीं पाया जाता कि अधिनियम के तहत उन्हें भूमि आवंटित की गई थी।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर द्वारा किए गए आदेशों को रद्द कर दिया और इन टिप्पणियों के साथ निर्णय के लिए सभी मामलों को कलेक्टर को सौंप दिया: –

"अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से लेने के बाद, हम पाते हैं कि निष्कासन के प्रावधान केवल उन मामलों पर लागू हो सकते हैं जहां यह स्पष्ट है या इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बेदखल किया जाने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के तहत पट्टेदार था। इस मामले में, कथित पट्टेदारों के विद्वान वकील बताते हैं कि ऐसे कई कानून थे जिनके तहत भूमि दी जा सकती थी। वे कहा गया था: सरकारी भूमि का औपनिवेशीकरण अधिनियम, 1912; पूर्वी पंजाब विस्थापित व्यक्ति पुनर्स्थापन अधिनियम, 1949; पूर्वी पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1951 और भूमि कार्यकाल की सुरक्षा अधिनियम, 1953। पंजाब में बंजर भूमि के उपयोग के लिए 1897 में कुछ नियम भी बनाए गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रावधान के तहत कथित पट्टेदारों को जमीन आवंटित की गई थी। इसलिए, इस सीमा पर, अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए कलेक्टर की शक्ति को चुनौती दी जाती है। यह सच है कि अधिनियम कलेक्टर को अधिकार और शीर्षक के प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं देता है जहां ये ठीक से और वास्तव में उत्पन्न होते हैं। फिर भी, कलेक्टर को एईटी के तहत कदम उठाने के लिए आगे बढ़ते समय, अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र के स्रोत और सीमा को निर्धारित करना चाहिए, जहां इन पर सवाल उठाए जाते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या किसी पार्टी द्वारा उसके सामने भरोसा किया गया अधिनियम लागू किया जा सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर परस्पर विरोधी दावे और सबूत हैं जो एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल लगता है। इसलिए, हमें लगता है कि ये उपयुक्त मामले हैं जिनमें कलेक्टर आगे कोई आदेश पारित करने से पहले स्वयं निम्नलिखित प्रश्नों पर जा सकते हैं:

1. क्या राज्य सरकार द्वारा भूमि उपयोग अधिनियम के तहत विवादित भूमि में से किसी भूमि का कब्जा लिया गया था और अधिनियम ***की धारा 5 के तहत पट्टों को विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था?***

2. क्या कथित रूप से पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 4 के तहत मुआवजा देने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी, और यदि हां, तो बेदखल किए गए व्यक्तियों को किस आधार पर मुआवजा दिया गया था? दूसरे शब्दों में, क्या यह मानने का कोई आधार है कि जिन व्यक्तियों को भूमि सौंपने का निर्देश दिया गया था, वे अब मालिक नहीं थे?

3. यदि कथित पट्टेदारों के पक्ष में कोई कानूनी रूप से वैध पट्टे निष्पादित नहीं किए गए थे, तो लंबे कब्जे के कारण उनकी कानूनी स्थिति और अधिकार क्या हो सकते हैं?

4. ग्राम पंचायतों ***द्वारा प्रस्तुत किसी भी भूमि पर दावों की प्रकृति क्या थी*** ?

5. क्या यह एक ऐसा मामला है जिसमें कलेक्टर कानून के किसी प्रावधान के तहत हस्तक्षेप कर सकते हैं या कोई आदेश पारित कर सकते हैं या मामले को कथित पट्टेदारों, कथित निजी मालिकों और पंचायतों के बीच ऐसी अन्य कानूनी कार्यवाही द्वारा तय

करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जो उनके दावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से उनके लिए खुले हो सकते हैं?

(5). याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री कुलदीप सिंह द्वारा अपनाया गया था, कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिसों की प्रासंगिक सामग्री का उल्लेख करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता को 10 जून, 1974 को जारी नोटिस, जिसकी प्रति रिकॉर्ड पर अनुलग्नक पी -1 है, इस प्रकार है: –

"याचिकाकर्ता ने उपरोक्त शीर्षक के तहत आपके खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसके संबंध में आपको 20 जून, 1974 को सुबह 7 बजे मेरे सामने पेश होने और अपने जवाब के सबूत में सभी दस्तावेजों के साथ अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया जाता है। आपको आगे सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दिन इस कार्यालय में उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो ***आपके खिलाफ एकपक्षीय*** कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार मामले पर फैसला लिया जाएगा।

अपीलकर्ताओं के मामले में 5 जुलाई, 1974 को जारी नोटिस, जिसकी प्रति अनुलग्नक "पी -2" के रूप में प्रस्तुत की गई है, निम्नानुसार है: –

नोटिस में कहा गया है, 'इस नोटिस के माध्यम से (दो प्रतियों में) आपको सूचित किया जाता है कि आप 26 जुलाई, 1974 को व्यक्तिगत रूप से या पेहोवा के रेस्ट हाउस में एक वकील के माध्यम से मेरे समक्ष पेश हों, ताकि उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में अपनी दलीलों और सबूतों के समर्थन में साक्ष्य, दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत कर सकें। आपके उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपके पास कोई प्रस्तुतीकरण नहीं है और न ही आप कोई सबूत प्रस्तुत करना चाहते हैं ***और उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न प्रश्नों और पारित किए गए परिणामी आदेशों के संबंध में*** एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

(6). विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने पेश किए गए तर्कों से निपटने से पहले यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्हें जारी किए गए नोटिस के जवाब में, अपीलकर्ता और याचिकाकर्ता कलेक्टर के सामने पेश हुए और मालिकों के दावों का विरोध किया कि उनकी भूमि को कलेक्टर द्वारा अधिनियम के तहत ले लिया गया था और उसके बाद उन्हें पट्टे पर दे दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक योजना के तहत भारत सरकार द्वारा समितियों का गठन करने वाले सदस्यों के पक्ष में किए गए आवंटन के आधार पर भूमि का कब्जा था। प्रत्येक मामले में कलेक्टर ने दावे को निराधार पाया और एक तर्कसंगत आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें दिए गए पट्टे के आधार पर भूमि के कब्जे में थे।

(7). विद्वान वकील की दलीलों पर अब ध्यान दिया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस, कलेक्टर द्वारा सक्षम रूप से जारी नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऊपर हमारे द्वारा निकाले गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार, उन्होंने पहली बार खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किए गए सवालों पर गौर किया था और पाया था कि विवादित भूमि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत पट्टे पर दी गई थी। अधिनियम। विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा था, उसके मद्देनजर, कलेक्टर को अपने दम पर सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, जिससे पता चलेगा कि भूमि को अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को पट्टे पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने नोटिस जारी

करने से पहले ऐसा नहीं किया था। जारी किए गए नोटिस से, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, कलेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के संबंध में याचिकाकर्ता पर सबूत की जिम्मेदारी रखी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उस पर थी। नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि नोटिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन था और अधिकार क्षेत्र से परे था; इस पर की गई कार्यवाही और कलेक्टर, अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों के साथ रद्द किया जा सकता था। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने शर्मा जे के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसे (2 सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने कलेक्टर द्वारा जारी एक समान नोटिस को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने और उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को पुन: प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने नोटिस को रद्द करने के निम्नलिखित कारण बताए: –

> "यह स्पष्ट है कि इन मुद्दों को इस तरह से लिखा गया है कि उनमें उठाए गए तर्कों को स्थापित करने का बोझ स्वयं कलेक्टर पर डाल दिया गया है। निस्संदेह, उसे इन तथ्यों का निर्णय यह निर्धारित करने के उद्देश्य से करना है कि क्या उसके पास अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार क्षेत्र है। याचिकाकर्ता-सोसायटी को दिए गए नोटिस के शब्दों से पता चलता है कि कलेक्टर ने इस तथ्य को मान लिया है कि उसके पास मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है जब तक कि याचिकाकर्ता-सोसायटी यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं करती है कि उसके पास मामले में कार्रवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। कलेक्टर को इस मामले में उचित तरीके से काम करना चाहिए था कि उन्हें इस दलील के समर्थन में सभी सबूत एकत्र करने चाहिए थे कि अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता-सोसायटी को भूमि आवंटित की गई थी और फिर उन्हें उस सबूत को समझाने के लिए सोसाइटी को बुलाना चाहिए था। यदि याचिकाकर्ता-सोसायटी किसी भी गवाह से जिरह करना चाहती है, जिसके बयान पर कलेक्टर भरोसा करता है, या बचाव में कोई गवाह पेश करना चाहता है, तो कलेक्टर को यह तय करने से पहले इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करना होगा कि भूमि को अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता-सोसायटी को पट्टे पर दिया गया था। इस तरह के फैसले के बाद ही याचिकाकर्ता-सोसायटी के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस जारी किया जा सकता है।

(8) इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शर्मा जे द्वारा दिया गया निर्णय, याचिकाकर्ता की पूरी मदद करता है।

(9) तथापि, जैसा कि प्रारंभ में ही देखा गया है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से विचारों का टकराव है जिस पर के एस तिवाना जे ने संदर्भ देते हुए और यह निर्देश देते हुए कि रिट याचिका पर पेटेंट अपील पत्र ों के साथ विचार किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है। *मोहनपुर पूर्व सैनिक सहकारी किरायेदार खेती सोसायटी*

लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2 *सुप्रा*) *में व्यक्त किए गए प्रतिद्वंद्वी विचार* और प्रेम भूतपूर्व सैनिक सहकारी किरायेदार खेती सोसायटी लिमिटेड, बाखली और अन्य *बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[3] *इसलिए,* स्वीकृति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

(10) सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलेक्टर के पास पीड़ित पूर्व सैनिक समितियों को भूमि से बेदखल करने का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जब तक कि उन्होंने आवश्यक जांच के बाद यह नहीं पाया कि भूमि को अधिनियम के तहत उन्हें पट्टे पर दिया गया था। इसलिए, कब्जे को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। रिकॉर्ड पर सामग्री की कमी के कारण इसे खुद खोजने में सक्षम बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों के परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न सवालों को तैयार किया और कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे अंततः यह तय करने के लिए उन्हें निपटाएं कि भूमि को अधिनियम के तहत पट्टे पर दिया गया था या नहीं। जैसा कि हमने उस फैसले को पढ़ा, अदालत ने उन तथ्यों के संबंध में कलेक्टर पर सबूत की जिम्मेदारी नहीं डाली, जिसमें प्रश्न शामिल था और न ही यह निर्देश दिया गया था कि कलेक्टर को खुद पार्टियों द्वारा सहायता प्राप्त सबूत एकत्र करना चाहिए। विद्वान वकील सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्यक्त या निहित ऐसे किसी भी आवश्यक निर्देश को इंगित करने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं या उसमें जिम्मेदारी के सवाल से संबंधित कुछ भी कहा गया है।

(11). अब मोहनपुर भूतपूर्व सैनिक सहकारी पट्टेदार खेती समिति *के मामले में शर्मा जे. के निर्णय पर आते हुए,* ऊपर दिए गए ऑपरेटिव भाग से यह प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस तरह से मुद्दों (स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रश्न) को लिखा गया था, वास्तव में उसमें उठाए गए तर्कों को स्थापित करने का भार कलेक्टर पर था। वास्तव में, इसलिए, यह कहा गया था जैसे कि इसे साबित करने की जिम्मेदारी अकेले उस पर थी। इस आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने जांच में कलेक्टर के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए आगे की कार्रवाई की, जो अकेले उनके विचार में इस दायित्व का निर्वहन करने के दायित्व को पूरा करेगा। उस मामले में जारी किए गए नोटिस, जिसे वर्तमान रिट याचिका में जारी नोटिस के समान कहा गया है, विद्वान न्यायाधीश द्वारा इसका अर्थ यह निकाला गया था कि कलेक्टर ने इस मामले पर फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया था।

(12) विद्वान न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ हम उनके द्वारा लिए गए मामले के दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। हमारे विचार में उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के शब्दों से यह आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रश्नों में शामिल विभिन्न दलीलों को सिद्ध करने का भार कलेक्टर पर डाला गया था। अन्यथा भी हम इसे असामान्य नहीं मानते हैं (हालांकि शायद असंभव नहीं) कि सबूत का आधार प्राधिकरण पर ही रखा जाना चाहिए। हमें उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो इस सामान्य नियम से हट जाए कि प्रश्न की विषय-वस्तु बनाने वाली याचिकाओं को साबित करने का भार उस पक्ष पर होगा जिसके द्वारा इसे उठाया गया था। यदि यह प्रश्नों का सही पठन है - और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा

[3] 1977 पी.एल.जे. 211

है - तो प्रक्रिया के औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ना अनावश्यक है जिसे विद्वान न्यायाधीश ने प्रश्न की जांच के उद्देश्य से कलेक्टर से पालन करने की इच्छा की थी। इसलिए, उस मामले में जारी किए गए नोटिस के खिलाफ लगाई गई आलोचना शायद अनावश्यक थी। कलेक्टर के पास याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने का अधिकार था, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में उसके द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है, ताकि उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके और यह तय किया जा सके कि अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को भूमि पट्टे पर दी गई थी या नहीं और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। मुक़दमा। इस तरह का नोटिस वास्तव में पार्टियों के हित में होगा और उन्हें किसी के दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि कलेक्टर को पार्टियों को उनके कब्जे में कोई सबूत पेश करने के लिए आमंत्रित करने से कैसे रोका जाना चाहिए या आवश्यक रूप से ऐसे सभी सबूतों को अकेले उनके द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

(13) यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि कलेक्टर स्वयं इस प्रश्न में जा सकता है जो उसे उसके लिए सामग्री और सबूत एकत्र करने में सक्षम बना सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह आवश्यक जानकारी या सबूत एकत्र करने में एक या दूसरे पक्षों की सहायता नहीं ले सकता है। न ही यह उन्हें पार्टियों को आमंत्रित करने या ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक करने से रोकेगा जो उनके कब्जे में हो सकती है। वर्तमान और पिछले मामलों में नोटिस के शब्दों से संभवतः कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कलेक्टर ने केवल किसी भी पक्ष पर इसे जारी करके सबूत का कोई दायित्व डाला था।

(14) उपरोक्त कारणों से हम बड़े सम्मान के साथ यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हैं कि ***मोहनपुर*** सुंदर सिंह आदि में शर्मा जे का निर्णय।*v.* ब्यास निर्माण बोर्ड, आदि (पी.सी. जैन, जे.)

भूतपूर्व सैनिक सहकारी पट्टेदार खेती सोसायटी सही धारणा पर आगे नहीं बढ़ती है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। हम प्रेम पूर्व सैनिक सहकारी किरायेदारों की खेती सोसायटी लिमिटेड *के मामले में रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 में गुरनाम सिंह जे के तर्क से सहमत* हैं और उसी की पुष्टि करते हैं।

(15) नतीजतन, हम संतुष्ट हैं कि नोटिस किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में टिप्पणियों का उल्लंघन नहीं करता है। यह स्पष्ट रूप से जारी किया गया था ताकि याचिकाकर्ता उस कार्यवाही में भाग ले सके जो कलेक्टर को अपने लॉर्डशिप द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को तय करने के लिए लेने की आवश्यकता थी। नोटिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है और विद्वान वकील द्वारा दिए गए किसी भी अन्य कारण से संदिग्ध नहीं है।

(16) पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था।

(17) परिणाम में हमें रिट याचिका के साथ-साथ अपील में कोई आधार नहीं मिला। इसलिए, दोनों को बर्खास्त किया जाता है, लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी